भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5572
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत व्यय

† 5572. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत दावों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है तथा इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य सरकारों को प्रदान किया गया केंद्रीय अंशदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) एबी-पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक राज्य सरकारों द्वारा दावों पर किया गया राज्यवार कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) क्या इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा समग्र प्रीमियम में संशोधन के लिए कोई समिति गठित की गई थी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा उस समिति द्वारा केरल राज्य के लिए क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी लागत को वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र के अंश और राज्य के अंश का अनुपात 60:40 का है। पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए, केंद्र के अंश और राज्य के अंश का अनुपात 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, गैर विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रीमियम का केंद्रीय योगदान 100% है, जबकि विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 60:40 के अनुपात में है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के उपचार संबंधी खर्च के लिए भी यही अनुपात लागू है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर आने वाले कुल खर्च का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): इस स्कीम में लाभार्थी आधार का विस्तार, नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को पैनलबद्ध करना तथा ऐसे अन्य सुधार संबंधी नियमित अद्यतनीकरण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किए जाते हैं।

<u>अनुलग्नक</u>

एबी-पीएमजेएवाई के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर हुए कुल व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल में भर्ती संबंधी धनराशि (करोड़ रुपए में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.10
आंध्र प्रदेश	17,787.80
अरुणाचल प्रदेश	12.77
असम	2,630.43
बिहार	2,280.77
चंडीगढ़	63.97
छत्तीसगढ़	8,537.68
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	113.78
गोवा	5.21
गुजरात	14,922.13
हरियाणा	3,258.50
हिमाचल प्रदेश	457.36
जम्मू और कश्मीर	2,893.05
झारखंड	2,923.18
कर्नाटक	8,922.62
केरल	7,892.47
लद्दाख	32.76
लक्षद्वीप	4.14
मध्य प्रदेश	8,570.12
महाराष्ट्र	6,764.63
मणिपुर	294.34
मेघालय	944.59
मिज़ोरम	186.40
नागालैंड	196.25
पुदुचेरी	98.20
पंजाब	3,259.93
राजस्थान	7,216.97
सिक्किम	24.77
तमिलनाडु	8,230.80
तेलंगाना	4,663.58
त्रिपुरा	405.60
उत्तर प्रदेश	9,488.94
उत्तराखंड	3,002.85

*****